न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/53/2022

श्री सतीशचन्द शर्मा, ए–270, जवाहर नगर, भरतपुर।

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर।

.............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

——————

आदेश **दिनांक 03.08.2022**

अपीलार्थी श्री सतीशचन्द शर्मा, ए–270, जवाहर नगर, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2022 से जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/426 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने वावत रिपोर्ट तलब की गई। जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसे जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर से कोई जवाव प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना से अवगत नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते है तथा अपीलार्थी सूचना निशुल्क पाने का हकदार भी है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 53 / 2022
सतीशचन्द शर्मा बनाम जि0अ0सं0कल्याण अधि0, भरतपुर

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे, सूचना पर लगने वाला शुल्क सम्बन्धित दोषी कार्मिक से वसूल किया जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर